

श्रीमान जी मुताबिक ग्राम खापर के खाता संख्या 89, 90, 91 में प्रती का नाम शकर पुत्र करीमा तथा खाता संख्या 208 में समर पुत्र करीमा दर्ज है। जूबर्न प्रती के माध्यम कांड, जमादार कांड, रक्षण कांड, फेन कांड में शकर खान पुत्र करमा दर्ज है। अतः प्रती का नाम शकर खान पुत्र करमा लिखा जाना उचित है।
 (विरासत में प्राप्त हुआ है)

6.10.2025
 प्र. अजमेर

श्रीमान जी, नू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर पड़ोस व जमादार कांड, रक्षण कांड, फेन कांड में शकर खान पुत्र करमा का नाम दर्ज किया जाना उचित है।
 (विरासत में प्राप्त हुआ है)

तहसीलदार की रिपोर्ट
 प. सं. का रिपोर्ट व भू. अ. न. की जांच के आधार पर पुरानी की धारत की अनिश्चालता की जाती है।

तहसीलदार

2025
 779

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 19-10-25

क्रमांक / 442

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी इल्का की रिपोर्ट एवं नू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खापर तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 0274-77 के खाता संख्या 89, 90, 91, 208 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	शकर पुत्र करीमा			शकर खान पुत्र करमा		
	संकर पुत्र करीमा			शेष लक्ष्मण		
	शेष लक्ष्मण					



→ मातु :- 5794-95

दिनांक: 19-10-25

प्रतिनिधि :- 1) तहसीलदार नसीराबाद को पत्राचार
 2) आदेश पत्राचार

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर